वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 406 /XVII(1)-01/2006-527(कल्याण)/2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01. देहरादून, 03 मार्च 2006

विषय : राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, कण्डोली, देहरादून, उत्तरांचल के भवन की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-554/स.क./2004-527(कल्याण)/2001, दिनांक 25 मार्च 2004 एवं शासनादेश संख्या-255/XVII(1)-01/2006-527(कल्याण)/2001, दिनांक 04 फरवरी 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, कण्डोली, देहरादून, उत्तरांचल के भवन की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में औचित्यपूर्ण आगणन की धनराशि रूपये 3.81 लाख में से अवशेष धनराशि रूपये 1,31,000/- (रूपये एक लाख इकत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृति मानक है, स्वीकृति मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और MORTH द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

7. आगणन में जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की राशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

9. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाएगा तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

13. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।

14. उक्त धनराशि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तरांचल द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था को सीधे उपलब्ध करायी जाएगी।

15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–00–12–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास" के मानक मद "25–लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप बी.एम.–15 के पुनर्विनियोजन कालम–01 की बचतों से वहन किया जाएगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1001/XXVII-3/2006, दिनांक 25 फरवरी 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 406(1)/XVII(1)-01/2006–527(कल्याण)/2001, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।

   कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार व्ययाधिक्य व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में अवशेष)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
अनुदान संख्या–30, 'आयोजनेत्तर' 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 277–शिक्षा–00– 12–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास 46–कम्प्यूटर क्रय 200	–	–	200	अनुदान संख्या–30, 'आयोजनेत्तर' 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 277–शिक्षा–00– 12–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास 25–लघु निर्माण कार्य 131	331	69	राजकीय अनुसूचि[त] जाति छात्रावास कण्डोली, देहरादू[न] उत्तरांचल के भवन [की] रंगाई–पुताई एवं मरम्म[त] कार्य पुनर्विनियोग [illegible] आवश्यकता है।
200	–	–	200	131	331	69	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राव्धानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

उत्तरांचल शासन,
वित्त अनुभाग–03,
संख्या–1001(1)/XXVII-3/2006,

देहरादून, 25 फरवरी 2006.

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एस. एम. पन्त)
अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।

पृष्ठांकन संख्या– 406 (1)/XVII(1)-01/2006–527(कल्याण)/2004, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तरांचल।
4. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से,

(सुदर्शन)
अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृति मानक है, स्वीकृति मानक से अधिक व्यय